

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/

दिनांक:- 4.12.2014

कार्यमुक्ति आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 95/14-15 दिनांक 26.10.2014 द्वारा निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया गया था, किन्तु विभागीय आदेश की पालना में इन कार्मिकों द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है :-

क्र.सं.	लिंक नम्बर	नाम सलेअ ग्रेड द्वितीय सर्वश्री	वर्तमान कार्यालय का नाम	नवीन पदस्थापन
1	2	3	4	5
1	5767	सुरेश सिंह चौहान, सलेअ ग्रेड-11 (अस्थाई क्रमोन्नत पद पर)	निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर	संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-4) विभाग सचिवालय जयपुर
2	3738	सुरेश चन्द शर्मा, सलेअ ग्रेड-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (प्रतिनियुक्ति से वापसी पर)	निदेशक वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय जयपुर
3	5573	उदय सिंह, सलेअ ग्रेड-11 (अस्थाई क्रमोन्नत पद पर)	सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग सचिवालय जयपुर

अतः उपरोक्तानुसार वर्णित सलेअ ग्रेड 11 को संदर्भित आदेश दिनांक 26.10.2014 की निरन्तरता में तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग किए तुरन्त अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना दिनांक 09.12.2014 तक अविलम्ब फ़ैक्स अथवा विभागीय ई-मेल (aao2.dta@rajasthan.gov.in) द्वारा विभाग को भिजवावें। नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले सलेअ ग्रेड 11 के विरुद्ध विभागीय आदेशों की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख) (1)/अलेसे-11/ 17751-17759

दिनांक:- 4.12.14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि वे सम्बन्धित कार्मिक को अविलम्ब नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण हेतु निर्देशित कर विभाग को सूचित करावें।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब डाक/फ़ैक्स अथवा विभागीय ई-मेल (AAO2.DTA@RAJASTHAN.GOV.IN) पर इस विभाग को भिजवावें।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
7. निजी पंजिका/आदेश पंजिका।

(हरीश कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)